1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**आवासीय विद्यालय योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	● यह योजना उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना सं0 7725–31 / भ0नि0बो0(853)–15 दि0 26.02.2015 के द्वारा इटावा, भदोही, कन्नौज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, ललितपुर, बहराइच, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा एवं मेरठ जनपदों मे पायलट प्रोजेक्ट के रूप मे प्रारम्भ की गई है। ● पंजीकृत श्रमिकों के छः से चौदह वर्ष की आयु के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ● कक्षा पांच तक की शिक्षा ब्रिज कोर्स के रूप में दो वर्ष की अवधि में प्रदान की जायेगी और उसके बाद कक्षा छः से कक्षा आठ तक की शिक्षा तीन वर्ष में प्रदान की जायेगी। ● बच्चों को आवासीय सुविधा, भोजन आदि की व्यवस्था, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षण सामग्री, खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधा मुफ्त उलब्ध कराई जायेगी।
4	पात्रता की अर्हता–	पंजीकृत श्रमिकों के छः से चौदह वर्ष की आयु के विद्यालय न जाने वाले बच्चे।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन।
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।